न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0**
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 45/2022
GCMS NO. : **2022/73**

–:: वादी ::–

1. पुखाराम पुत्र गोकल जाति–प्रजापत (कुम्हार) निवासी– कांवलिया खुर्द तहसील जैतारण जिला पाली।

बनाम

–:: प्रतिवादीगण ::–

1. मंगाराम पुत्र गोकल
2. हीरालाल पुत्र डालूराम जाति–प्रजापत (कुम्हार) निवासी– कांवलिया खुर्द तहसील जैतारण जिला पाली।
3. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 28/06/2022

उपस्थित:–

1. श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री महेन्द्र प्रजापत जैतारण, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक:– 26/04/2023**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा लाम्बिया पटवार हल्का लाम्बिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र लाम्बिया तहसील जैतारण जिला पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 751 रकबा 5.1476 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 का 1/4 व प्रतिवादीगण संख्या 2 का 1/2 हिस्सा निहित है। इसी हिस्सेनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त वादपत्र में वर्णित आराजी वादी की संयुक्त सामलाती आराजी है जिसका वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच मौके पर आपसी सहमति से बंटवाड़ा हो रखा है और उसी अनुसार पक्षकारान मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। परन्तु वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच मौके पर हुए बंटवाडे के अनुसार राजस्व रेकर्ड में कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के बंटवाडा नहीं हुआ। इस कारण से वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच सामलाती इन्द्राज है परन्तु मौके पर भूमि सभी पक्षकारान के अलग–अलग बंटी हुई है और सभी पक्षकारान अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादपत्र में वर्णित आराजी जिसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.05.10 16:50:38 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के बंटवाडा नहीं हो रखा है परन्तु मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच बंटवाडा हो रखा है। जिसमें वादपत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे के अनुसार सभी पक्षकारान अपने हक हिस्से की आराजी में काबिज होकर के काश्त करते चले आ रहे है। वादपत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में वादी का हिस्सा पीले रंग से दर्शाया गया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 का हिस्सा लाल रंग से दर्शाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा हरे रंग से दर्शित है और इसी नक्शे अनुसार सभी पक्षकारान अपने हक हिस्से की भूमि पर निंविवाद रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा मौके पर जो बंटवाडा हो रखा है वादपत्र के साथ वादी की ओर से नजरी नक्शा बनाकर साथ पेश किया जा रहा है। उपरोक्त वर्णित आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच मौके पर बंटवाडा हो रखा है और नजरी नक्शे में वर्णित हिस्से अनुसार सभी पक्षकारान काबिज है परन्तु उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज है जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के बंटवाडा नहीं हो रखा है। इस कारण से वादी को अनेकों प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है जिसमें वादी अपने हक हिस्से की भूमि में ट्यूबवैल खुदवाने, कृषि भूमि को अकृषि कार्य के लिये संपरिवर्तन करवाने, बिजली कनेक्शन लेने, सरकारी योजना के अनुसार पोण्ड का निर्माण करने एवं सरकारी एवं अर्द्धसरकारी योजना का फायदा लेने में काफी समस्याओं का सामना करना पड रहा है। इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष पेश है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी मौके पर नजरी नक्शे अनुसार अलग से बंटी हुई है परन्तु राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज होने से प्रतिवादीगण आये दिन वादी को मौके से बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा कर लेने और वादी को हमेशा के लिये भूमि हीन कर देने की ऐलानिया धमकीयां देते रहते हैं। वादी द्वारा दिनांक 18/06/2022 को प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि मौके एवं नजरी नक्शे में वर्णित हिस्से अनुसार राजस्व रेकर्ड में भी कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के बंटवाड़ा कर लिया जावे तो प्रतिवादीगण स्पष्ट इन्कार हो गये एवं कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के बंटवाड़ा करने से सहमत नहीं हुए एवं वादी को मौके से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी दी। प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार होने से बंटवाडे के वादपत्र में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है अतः अनुमति बाबत् धारा 80(2) सी.पी.सी. का प्रा.पत्र वादपत्र के साथ संलग्न है। बिनाय वाद दिनांक 18/06/2022 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण से वादग्रस्त सम्पत्ति का मौके पर काबिज काश्त अनुसार एवं नजरी नक्शे में बताये अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के बंटवाडा करने का निवेदन करने पर प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट इन्कार करने एवं वादी को मौके से बेदखल करने व बिना कानूनी बंटवाडा करवाये ही उक्त भूमि को किसी ... को बेचान, हस्तान्तरण, रहन, वसीयत आदि करने की एलानिया धमकी ... तहसील जैतारण जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.05.10 16:50:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली) राज.

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
अपर कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जैतारण (पाली)

पाली में पैदा हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में होने से यह वादपत्र अन्दर मियाद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। वादी पुखाराम मय अधिवक्ता व प्रतिवादी मंगाराम व हीरालाल मय अधिवक्ता ने राजिनामा पेश किया, जो शा0मि0 है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात, राजिनामा इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया जमाबन्दी सरहद मौजा लाम्बिया में कृषि भूमि 751 रकबा 5.1476 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल सम्वत् 2073-2074 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है. जिसमें माफिक आपसी राजीनामा मय नजरी नक्शा एवं राजस्व रेकर्ड अनुसार प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा लाम्बिया पटवार हल्का लाम्बिया तहसील जैतारण जिला पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 751 रकबा 5.1476 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। जिसका उभयपक्ष के हक हिस्सों का माफिक राजीनामा मय नजरी नक्शा व राजस्व रिकार्ड भूमि का बंटवाड़ा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2022/348 दिनांक 24.08.2022 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0 /23/215 दिनांक 12.01.2023 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, शा0मि0 की गई।

अंतिम बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान वकील उभयपक्ष ने वादग्रस्त आराजी की माफिक प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा बंटवाडा करने हेतु सहमति जाहिर करते हुए आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील उभयपक्ष एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया गया। भू-अभिलेख के अनुसार खसरा नम्बर 751 रकबा 5.1476 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल का माफिक आपसी राजीनामा/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश::-

अतः माफिक आपसी राजीनामा/बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा लाम्बिया, पटवार हल्का लाम्बिया तहसील जैतारण में स्थित खसरा नंबर 751 रकबा 5.1476 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.05.10 16:50:38 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	हीरालाल पुत्र डालूराम जाति कुम्हार सा. कांवलिया खुर्द खातेदार	751	2.5738	बा. अ.	1.59
2.	मगाराम पुत्र गोकलराम जाति कुम्हार सा. कांवलिया खुर्द खातेदार	751/1	1.2869	बा. अ.	0.80
3.	पुखाराम पुत्र गोकलराम जाति कुम्हार सा. कांवलिया खुर्द खातेदार	751/2	1.2869	बा. अ.	0.80

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा/भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 26/04/2023 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.05.10 16:50:38 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः- जैतारण
बईजलास :- श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-:: वादी ::- बनाम -:: प्रतिवादीगण ::-

1. पुखाराम पुत्र गोकल जाति-प्रजापत (कुम्हार) निवासी- कांवलिया खुर्द तहसील जैतारण जिला पाली।

1. मंगाराम पुत्र गोकल
2. हीरालाल पुत्र डालूराम जाति-प्रजापत (कुम्हार) निवासी- कांवलिया खुर्द तहसील जैतारण जिला पाली।
3. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली।

मु0न0 :रा0बा0स0: 45/2022

राजस्व वाद बाबत् बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री महेन्द्र प्रजापत जैतारण, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा/बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त सामलाती अविभाजित कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा लाम्बिया, पटवार हल्का लाम्बिया, तहसील जैतारण में स्थित खसरा नंबर 751 रकबा 5.1476 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	हीरालाल पुत्र डालूराम जाति कुम्हार सा. कांवलिया खुर्द खातेदार	751	2.5738	बा. अ.	1.59
2.	मगाराम पुत्र गोकलराम जाति कुम्हार सा. कांवलिया खुर्द खातेदार	751/1	1.2869	बा. अ.	0.80
3.	पुखाराम पुत्र गोकलराम जाति कुम्हार सा. कांवलिया खुर्द खातेदार	751/2	1.2869	बा. अ.	0.80

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। आपसी राजीनामा, बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा/भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.05.10 16:50:38 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

नीज.....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 26/04/2023 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	3.00	स्टाम्प वकालतनामा	5.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	1.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	2.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	6.00	मिजानः–	6.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.05.10 16:50:38 IST
Reason: SelfAttested